राजस्थान सरकार
बाल अधिकारिता विभाग
राजस्थान स्टेट चाईल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी
20/198. कावेरी पंथ, सेक्टर–2, मानसरोवर, जयपुर

क्रमांकः एफ 47 ( )( ) बा.अ.बि./आई.सी.पी.एस./स्पॉनसरशिप/दिशा–निर्देश/15/23831-96 जयपुर, दिनांकः 22/09/15

जिला कलक्टर
एवं अध्यक्ष, जिला बाल संरक्षण इकाई,
.....।

सहायक निदेशक,
जिला बाल संरक्षण इकाई,
.....।

विषयः– प्रवर्तकता (Sponsorship) कार्यक्रम दिशा–निर्देश के क्रियान्वयन के क्रम में।
प्रसंगः– विभाग के आदेश क्रमांक 21382 दिनांक 16.09.2015 के कम में।

समेकित बाल संरक्षण योजना (आई.सी.पी.एस.) के अन्तर्गत 18 वर्ष से कम आयु के बालक/बालिकाओं को निराश्रित होने से रोकना तथा पारिवारिक व्यवस्था में उनके पालन–पोषण एवं देखभाल हेतु निरोधात्मक/पुनर्वासन स्तर की प्रवर्तकता (Sponsorship) कार्यक्रम संचालित करने की व्यवस्था की गई हैं।

विभाग द्वारा योजनान्तर्गत ''बच्चे का सर्वोत्तम हित'' को ध्यान में रखते हुए बच्चों के परिवारिक व्यवस्था के तहत् देखभाल एवं विकास सुनिश्चित करने के लिये प्रवर्तकता (Sponsorship) कार्यक्रम के संचालन हेतु विभाग के आदेश क्रमांक 21382 दिनांक 16.09.2015 के माध्यम से विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किये गए हैं, जोकि आप सभी को पूर्व में प्रेषित किए जा चुके हैं।

उक्त प्रवर्तकता (Sponsorship) कार्यक्रम का उद्देश्य 18 वर्ष से कम आयु के बालक/बालिकाएं, जो विभिन्न श्रेणी के गृहों/चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में आवासरत हैं, को उनके परिवार में वापस कर (Deinstitutionalisation) पारिवारिक देखभाल उपलब्ध कराना हैं। उक्त प्रवर्तकता (Sponsorship) कार्यक्रम के तहत् मापदण्ड़/पात्रता निम्नानुसार निर्धारित की गई हैः–

1. 0–18 वर्ष आयु के बालक/बालिकाएं।
2. बालक/बालिकाएं, जो 6 माह की लगातार से अधिक अवधि से किसी गृह/चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में आवासरत हैं।

उक्त प्रवर्तकता (Sponsorship) कार्यक्रम के तहत् आई.सी.पी.एस. योजना के अनुसार वित्तीय प्रावधानों का निर्धारण किया गया है, जिसके तहत् कार्यक्रम के अन्तर्गत पात्रता पूर्ण करने वाले माता/पिता/उपयुक्त व्यक्ति को लाभान्वित बच्चे की देखरेख के लिए प्रवर्तकता (Sponsorship) भत्ते के रूप में प्रति माह 2,000 रूपये प्रति बालक/बालिका (एक परिवार के अधिकतम 2 बच्चों के लिए) दी जाएगी। कार्यक्रम के तहत् बच्चे को अधिकतम 3 वर्ष अथवा

18 वर्ष की आयु तक (जो भी पहले हो, विशेष परिस्थितियों को छोडकर) सहायता प्रदान की जाएगी।

प्रवर्तकता (Sponsorship) भत्ता समेकित बाल संरक्षण योजना के अंतर्गत जिला बाल संरक्षण इकाई में निर्धारित मद में से किया जायेगा। विभाग द्वारा वित्त वर्ष 2014–15 में प्रवर्तकता एवं पालन–पोषण देखभाल (फोस्टर केयर) कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु प्रत्येक जिला बाल संरक्षण इकाई को 7.50 लाख रूपये की राशि आवंटित की जा चुकी हैं।

जिले में प्रवर्तकता (Sponsorship) कार्यक्रम के क्रियान्वयन एवं प्रभावी निगरानी के लिये गृह/चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन, प्रायोजकता एवं पालन–पोषण देखभाल स्वीकृति समिति, बाल कल्याण समिति/किशोर न्याय बोर्ड तथा जिला बाल संरक्षण इकाई की महत्तबपूर्ण भूमिका निर्धारित की गई है।

जिले में प्रवर्तकता (Sponsorship) कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा सभी संबंधित घटकों के माध्यम से निम्नानुसार चरणबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करेगें:–

1. जिले में संचालित समस्त श्रेणी के राजकीय अथवा गैर राजकीय गृह/चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन मे आवासित प्रत्येक बालक/बालिका का निर्धारित प्रारूप में व्यक्तिगत देखभाल कार्ययोजना (Individual Care Plan) का निर्माण सुनिश्चित कर पात्रता श्रेणी के बच्चों में से प्रवर्तकता (Sponsorship) कार्यक्रम योग्य बच्चों की पहचान सुनिश्चित की जाएगी।

2. गृह/चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन के गृह अंधीक्षक/परिवीक्षा अधिकारी/चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर के माध्यम से बालक/बालिका के परिवार की निर्धारित प्रारूप में गृह अध्ययन रिपोर्ट तैयार करवाई जाएगी।

3. इकाई गृह/चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन से प्राप्त प्रत्येक बालक/बालिकाओं की सूची मय रिपोर्टस के आधार पर प्रायोजकता एवं पालन–पोषण देखभाल स्वीकृति समिति से आवश्यक अनुमोदन/अनुशंषा प्राप्त की जाएगी।

4. प्रायोजकता एवं पालन–पोषण देखभाल स्वीकृति समिति के अनुमोदन/अनुशंषा के क्रम में बाल कल्याण समिति/किशोर न्याय बोर्ड से निर्धारित प्रारूप में आवश्यक आदेश प्राप्त किया जायेगा।

5. कार्यक्रम के तहत् बालक/बालिका को उसके परिजन को सौपने से पूर्व उसका नियमित शिक्षा से जुड़ाव हेतु विद्यालय/आंगनबाडी केन्द्र में प्रवेश सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही बालक/बालिका की आवश्यकताओं की पूर्ति के संबंध में माता/पिता/उपयुक्त व्यक्ति से निर्धारित प्रारूप (4) में वचनबद्धता प्राप्त की जायेगी।

6. बाल कल्याण समिति/किशोर न्याय बोर्ड के आदेश के आधार पर आवश्यक दस्तावेजों की पूर्ति उपरान्त संबंधित जिला बाल संरक्षण इकाई चयनित बच्चे की देखभाल हेतु 2,000 रूपये प्रतिमाह की राशि बच्चे के नाम से राष्ट्रीयकृत बैंक बचत खाते में मासिक स्तर पर जारी करेगी।

7. कार्यक्रम के तहत् लाभान्वित किये गये बच्चे की देखभाल, विद्यालय/आंगनबाडी केन्द्र में उपस्थिति के संबंध में इकाई स्वयं के स्तर अथवा ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति के माध्यम से त्रैमासिक स्तर पर आवश्यक पर्यवेक्षण सुनिश्चित करेगी।

8. कार्यक्रम के तहत् लाभान्वित बच्चे का विद्यालय/आंगनबाडी केन्द्र में नियमित रूप से उपस्थिति नहीं होने अथवा किन्ही कारणों से बच्चे के पुनः गृह/चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में प्रवेशित होने की स्थिति में निर्धारित प्रावधानुसार इकाई द्वारा वित्तीय सहायता बन्द की जा सकेगी।

9. इकाई जिले में उक्त कार्यक्रम के बारे में व्यापक प्रचार–प्रसार, निर्धारित दस्तावेजीकरण तथा इसके प्रभावी संचालन सुनिश्चित करने के लिए समस्त आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेगी।

उक्त परिपेक्ष्य में आपसे अनुरोध है कि जिले में प्रवर्तकता (Sponsorship) कार्यक्रम का सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित करावें।

22.9.15

(इला सिंह देव)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव
एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
राजस्थान स्टेट चाईल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी

क्रमांकः एफ 47 ( )( ) बा.अ.वि./आई.सी.पी.एस./स्पॉनसरशिप/दिशा–निर्देश/15/ 23897-24216 जयपुर, दिनांकः 22/9/15

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. निजी सचिव, सचिव, राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी, जयपुर।
2. समस्त प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट/सदस्य, किशोर न्याय बोर्ड.....।
3. समस्त अध्यक्ष/सदस्य, बाल कल्याण समिति.....।
4. लेखाधिकारी/उपनिदेशक (आई.सी.पी.एस./सारा)/सहायक निदेशक (आई.सी.पी.एस.), बाल अधिकारिता विभाग, मुख्यावास।
5. समस्त उप/सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग.....।
6. समस्त अध्यक्ष, प्रायोजकता एवं पालन–पोषण देखभाल स्वीकृति समिति.....।
7. समस्त अधीक्षक/प्रभारी, राजकीय सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह/राजकीय बालिका गृह/राजकीय विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण एजेंसी .....।
8. समस्त अधीक्षक/व्यवस्थापक/प्रभारी, स्वयंसेवी संस्था द्वारा संचालित मान्यता प्राप्त बाल गृह/बालिका गृह/विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण एजेंसी/आश्रय गृह.....।
9. रक्षित पत्रावली।

उपनिदेशक (सारा)